

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2015/पौष 1, 1937

No. 405]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2015/PAUSA 1, 1937

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

(राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2015

फा. सं 6(1)/95.—नालसा.—केन्द्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 10, के साथ पठित सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 3—अ के द्वारा पदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर को दिनांक 12.12.2015 उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नामांकित करता है और दिनांक 9.2.2000 की अपनी अधिसूचना सं. 115(अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

उच्च अधिसूचना में कम संख्या 1 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1. न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर

—अध्यक्ष

न्यायधीश, भारत उच्चतम न्यायालय

अलोक अग्रवाल, सदस्य सचिव
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

पाद टिप्पण : उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के गठन से संबंधित मूल अधिसूचना का. आ. 115(अ), दिनांक 9.2.2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी तत्पश्चात् दिनांक 25.2.2000, 20.8.2000, 22.11.2001, 29.5.2002, 1.1.2003, 10.4.2003, 25.9.2003, 8.3.2004, 8.6.2004, 18.07.2005, 11.11.2005, 11.07.2006, 15.02.2007, 21.10.2008, 13.5.2009, 11.8.2009, 18.01.2010, 18.10.2011, 27.06.2012, 29.05.2014 एवं 09.10.2014 की अधिसूचना द्वारा संशोधित की गई है ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Department of Justice)****(NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th December, 2015

F. No. 6(1)/95-NALSA.—In exercise of the powers conferred by Section 3A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987) read with Rule 10 of the National Legal Services Authority Rules, 1995, the Central Authority hereby nominates Mr. Justice Jagdish Singh Khehar, Judge, Supreme Court of India, as Chairman of the Supreme Court Legal Services Committee with effect from 12th December, 2015 and makes the following amendments in its Notification No. S.O. 115(E) dated 09.02.2000, namely:—

In the said Notification, for the serial number (1) and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

1. “MR. JUSTICE JAGDISH SINGH KHEHAR
Judge, Supreme Court of India. —CHAIRMAN”

ALOK AGARWAL, Member Secy.
National Legal Services Authority

Foot Note: The principal notification constituting the Supreme Court Legal Services Committee was published *vide* S.O. 115(E) dated 09.02.2000 and was subsequently amended *vide* Notifications dated 25.02.2000, 20.08.2000, 22.11.2001, 29.05.2002, 01.01.2003, 10.04.2003, 25.09.2003, 08.03.2004, 08.06.2004, 18.07.2005, 11.11.2005, 11.07.2006, 15.02.2007, 21.10.2008, 13.05.2009, 11.08.2009, 18.01.2010, 18.10.2011, 27.06.2012, 29.05.2014 and 09.10.2014.